राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/

e-mail: jdbed.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

स्मरण पत्र

क्रमांकः एफ 24( )बी.एड/आकाशि/2022/ 442 दिनांकः– 09/09/2022

सचिव/प्राचार्य,
समस्त निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं,
राजस्थान।

विषयः– शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वयं की वेबसाईट निर्मित/अद्यतन करने के संबंध में।

संदर्भः– विभाग का पत्र क्रमांक एफ24(वेबसाईट)/बी.एड./आकाशि/18/285 दिनांक 25.04.2018।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत यह संज्ञान में आया है कि शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा विभाग से जारी संदर्भित पत्र की पालना में संस्था की वेबसाईट निर्मित/अद्यतन नहीं की गई है। अतः संस्था सचिव/प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि कि राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं सात दिवस में स्वयं की वेबसाईट निर्मित करें तथा वेबसाईट में निम्नलिखित सूचना अपलोड करना सुनिश्चित करेः–

1. एनसीटीई द्वारा जारी मान्यता आदेश।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
3. संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित शैक्षणिक स्टाफ एवं अशैक्षणिक स्टाफ की सूची।
4. संचालित पाठ्यक्रम का नाम मय स्वीकृत सीट संख्या।
5. महाविद्यालय में संचालित कोर्स में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या (प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या)।

समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाऐं प्रत्येक 15 दिन में वेबसाईट अपडेट करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वेबसाईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (निजी संस्था)
कॉलेज शिक्षा,राजस्थान,जयपुर।